राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास – उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 29/2019
तारीख दायरः 20.02.2019

उनवान

1. उर्मिला देवी पत्नि बनवारी लाल जाति वैष्णव (बैरागी) निवासी काछोला हाल गुलमण्डी खारो कुंऐ के पास भीलवाड़ा।

वादीया

बनाम

1. कृष्ण गोपाल पिता कानदास जाति बैरागी निवासी काछोला तहसील माण्डलगढ़।
2. महावीर पिता कानदास जाति वैष्णव निवासी काछोला तहसील माण्डलगढ़।
3. शिवप्रकाश पिता कानदास जाति वैष्णव निवासी काछोला तहसील माण्डलगढ़।
4. मु0 धन्नी देवी पत्नि कानदास जाति वैष्णव निवासी काछोला तहसील माण्डलगढ़।
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़।
6. उप पंजीयक उपतहसील काछोला तहसील माण्डलगढ़।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री संजय चौहान (अधिवक्ता वादीया)
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 6 तक एकतरफा।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53–88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

:: निर्णय ::

निर्णय दिनांक : 24.08.2021

वादपत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अंतर्गत धारा 53–88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाद नियमित सुनवाई इस न्यायालय द्वारा दिनांक 02.12.2019 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम काछोला पटवार हल्का काछोला की सरहद में स्थित खाता संख्या 129 के आराजी संख्या 2607 रकबा 02 बीघा 13 बिस्वा भुमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार, बाई मीटस एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार करने हेतु प्राथमिक डिक्री के आदेश दिये जाकर तहसीलदार माण्डलगढ को बंटवाड़ा प्रस्ताव भिजवाने हेतु लिखा गया।

तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा आदेशानुसार बंटवाडा प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 06.01.2020 को विभाजन प्रस्ताव मय ट्रेस जमाबंदी के प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव पर बहस अधिवक्ता वादी सुनी गई। प्रतिवादीगणों के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही होने से वादी एवं प्रतिवादीगण तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत बंटवाडा प्रस्ताव से सहमत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.09.29 17:36:15 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद पत्र वादी अंतर्गत धारा [illegible] 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के तहत सहमति [illegible] जाता है कि :–

क्रसं.	नाम खातेदार	मौजा	आराजी संख्या	रकबा	[illegible]
1	कृष्णगोपाल, महावीर, शिवप्रकाश पिता कानदास, मु0 धन्नी पत्नि कानदास बैरागी सा. देह. खातेदार	काछोला	2607	02 बीघा 02 बिस्वा	1.05
	योग		किता 1	02 बीघा 02 बिस्वा	1.05

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ

To Be Continue ....

2	उर्मिला देवी पुत्री कानदास पत्नि बनवारी वैष्णव सा. देह. खातेदार	काछोला	2607/1	11 बिस्वा	0.28
	योग		किता 1	11 बिस्वा	0.28

उक्तानुसार खातेदारो के नाम पर भूमि पृथक पृथक दर्ज किए जाने के आदेश दिये जाते है। वकील वादी द्वारा नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेश करने पर डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.09.29 17:36:15 IST
Reason: SelfAttested